


<p>भारत सरकार खान मंत्रालय भारतीय खान ब्यूरो क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय कर्मयोगी भवन, सेक्टर-10A, चतुर्थ माला, ब्लॉक-2 , सी विंग, गांधीनगर ई -मेल: gandhinagar.ibm@gmail.com</p>		<p>GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF MINES INDIAN BUREAU OF MINES Office of Regional Controller of Mines Karmayogi Bhavan, 4th Floor, Block-2, Sector-10A, Gandhinagar-382010, Gujarat</p>
--	--	---

सं- गुज/जूना/चू.प. - 62

पंजीकृत पत्र

उल्लंघन पत्र

दिनांक : 04.12.2017

सेवा में : M/s. Saurashtra Calcine Bauxite & Allied Ind.
Harshad Road, P.O. Bhatia, Taluka-Kalyanpur
Dist- Devbhumi Dwarka-361315, Gujarat

विषय: गुजरात राज्य के देवभूमि जिला में स्थित आपकी केनेडी बाक्साइट खान, सर्वे नंबर-508, क्षेत्रफल 1.477 हेक्टर में खनिज संरक्षण व विकास नियमावली 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन **(Mine Code-07GUJ07014)**.

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 02/11/2017 को आपकी उपरोक्त खान के निरीक्षण के दौरान खनिज संरक्षण एवं विकास नियमवाली 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया ।

नियम स.	पाए गए उल्लंघन की विस्तृत प्रकृति
Rule 11(1)	<p>The mining operations are being carried out in violation of the following provision of the approved Scheme of Mining (Approved vide letter No. 682(23) (MS-558)/2007 MCCM (N) UDP, dated 07.05.2014 for the period 2014-15 to 2017-18.</p> <p>i) In Para 8.3, during the year 2016-17, total 435 Sq.M mined out area was proposed to be backfilled with available overburden material. But, it is not attended against the given proposals.</p> <p>ii) As per the Chapter-8, Para-8.3, total 40 Nos of saplings proposed to be planted over backfilled area & statutory barrier during the year 2016-17 but no such plantation have carried out at designated locations against the proposals.</p>
Rule 33	<p><i>The holder of a mining lease shall, on or before the 30th day of June every year submit a digital copy along with print copy of the Surface Geological plans and Sections maintained under Rule 32 of MCDR,2017</i></p> <p>In your case, you have not submitted the aforesaid plans & sections maintained under the Rule 32 of MCDR, 2017 to this office.</p>
Rule 45(5)(b)	<p>In annual Return submitted for the year 2016-17 in form H-8 to the Regional Controller of Mines found following discrepancies –</p> <p>i) Part-I under item-12: Lease area utilization is not given correctly as the same are not matching with area details furnished draft Review of Mining Plan.</p> <p>ii) Part-VI, Under item-5&6: reason for increase/decrease in production compare to previous year is not furnished.</p> <p>iii) Part-VII, Under the cost of production, cost imposed in respect of DMF & NMET not furnished separately.</p>

02. इस संबंध में आपके ध्यान में लाया जाता है की उक्त उल्लंघन खनिज संरक्षण व विकास नियमावली, 1988 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है ।

03. इसके अतिरिक्त नियम 11(1) की पालना निर्धारित समयावधि में न होने पर नियम 11(2) के तहत खनन कार्य स्थगित किया जा सकता है एवं नियम 45(5)(b) की पालना नहीं होने पर नियम 45(7)(a)(i) के अंतर्गत खदान की सारी संक्रियाएँ बंद की जा सकती है, आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है, खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है ।

अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का तत्काल सुधार कर इसकी सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से 45 (पैंतालीस) दिनों के अंदर इस कार्यालय को भेजे ।

भवदीय,

(संजय गिरहे)

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. खान नियंत्रक (उ.) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर ।
2. आयुक्त, भूविज्ञान व खनन विभाग, ब्लॉक-1, 7वा माला, उद्योग भवन, गांधीनगर (गुज.).
3. सहायक भूविज्ञानी, भू-विज्ञान एवं खान विभाग, जिल्हा सेवा सदन-1 माला, लालपुर बायपास रोड, धरमपुर, खम्बालिया-361305.
4. रक्षित पत्रावली ।

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक